संख्या-295/2021/1172(2)/41-2021-102(बजट)/2020

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 30 मार्च 2021

विषय- **जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड में निर्माणाधीन भागीरथी पर्यटक आवास गृह में अग्निशमन हेतु भूमिगत जलाशय एवं अग्निशमन पम्प रूम के कार्य की लागत को उक्त कार्य के पूर्व स्वीकृत कार्यों की बचत की धनराशि से कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-7196/6-1-1(09)/मु0मं0घो0/2018-19 दिनांक 10 मार्च 2021 का संदर्भ ग्रहण करें ।

2- जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना में उच्च विशिष्टियों को सम्मिलित कराते हुये संशोधित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0- 3430.96 लाख निर्गत की गई है । महानिदेशक पर्यटन द्वारा अपर परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 विद्युत इकाई देहरादून के पत्र दि0-17-02-2021 एवं प्रबंध निदेशक उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के पत्रांक-5575/परि0-5/भागीरथी/2020-21 दिनांक 23 फरवरी 2021 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में यह अवगत कराया गया है कि तत्समय परियोजना के आगणन में अग्निशमन हेतु भूमिगत जलाशय एवं अग्निशमन पम्प रूम का कार्य स्वीकृत/अनुमोदित नहीं था तथा भवन को जनोपयोगी बनाने हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि में हुई बचत की धनराशि रू0-50.00 लाख का उपयोग करते हुये उक्त कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0-14/2021/4809/41-2020-02(बजट)/2018 दिनांक 06-01-2021 द्वारा प्रदान की गई प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रू0- 3430.96 लाख एवं उसके सापेक्ष निर्गत की गई वित्तीय स्वीकृतियों से कराये गये कार्यों में से होने वाली रू0-50.00 लाख (रूपये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पचास लाख मात्र) की बचत से अग्निशमन हेतु भूमिगत जलाशय एवं अग्निशमन पम्प रूम का कार्य कराये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त एवं प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि इस हेतु उक्त शासनादेश में अंकित प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-295/2021/1172(2)/41-2021-102(बजट)/2020 तद्दिनॉक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई-2-देहरादून।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।